

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल


:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 4/02/2021

क्रमांक 219 /2406/2018/38/1:: विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1610/2406/2018/38/1, दिनांक 10.09.2018 द्वारा डॉ. अनिल कुमार शर्मा, सह प्राध्यापक, भौतिक शास्त्र, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली में एक वर्ष के लिये सौंपी गई हैं तथा विभागीय आदेश दिनांक 24.01.2020 द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई है।

2/ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12.01.2021 द्वारा डॉ. शर्मा की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 14.09.2020 से 13.09.2021 तक की वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है। अतएव राज्य शासन एतद् विभागीय आदेश दिनांक 10.09.2018 के अनुक्रम में डॉ. शर्मा की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 13.09.2021 तक की वृद्धि करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( श्वेता पवार )  
उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 4/02/2021

पृ.क्रमांक 220 /2406/2018/38/1  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
3. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर,
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
5. अवर सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, प्लॉट नं. जी-7, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
6. प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर,
7. संबंधित डॉ. अनिल कुमार शर्मा, उप सचिव/क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारका, नई दिल्ली-11007

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग